

Fourteenth Loksabha**Session : 4****Date : 19-03-2005****Participants : [Bishnoi Shri Jaswant Singh](#)**

an>

Title: Need to include Bisnoi Community in the lists of 'Other Backward Classes'.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। आयोग ने गवाही ली और गवाही लेकर कुछ जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में लेने में घोषणा की। राज्य सरकार ने रिक्मेंड किया कि हमारे राज्य में इन-इन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने एक आयोग बनाया। राजस्थान में जो आयोग बना और जिस के अध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने सारी गवाही ली। इसके कुछ नॉम्स हैं जिन का पालन करना होता है। उन शर्तों के अनुसार जो कौम आई, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया गया। उसके आधार पर उन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया गया। मैं खास तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिस ने कुछ कौमों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया। इसमें बिश्नोई जाति को भी लिया गया। राजस्थान सरकार और खास तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की है कि दिल्ली में, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसमें बिश्नोई जाति को लिया जाए। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए। यह एक अहम प्रश्न है। पूरे देश में 40-50 लाख बिश्नोई जाति के लोग रहते हैं और वे जाटों से निकले हैं। जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिया जा चुका है लेकिन बिश्नोई जाति को नहीं लिया जा रहा है। हमारा आज भी गोत्र वही है, जो जाटों का है। बिश्नोई जाति को अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं लिया गया है। मेरा आग्रह है कि बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में लिया जाए।